कार्यालयः— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर (म०प्र०)

//परिपत्र//

क्रमांक 0 /दो–11–10/73 नरसिंहपुर, दिनांक–18.04.2024

प्रायः देखने में आ रहा है कि जिला स्थापना नरसिंहपुर, तहसील गाडरवारा/तेंदूखेड़ा/गोटेगांव पर पदस्थ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण द्वारा विहित अवधि 21 दिवस पूर्व अर्जित अवकाश का आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है तथा बिना अवकाश स्वीकृत कराये अवकाश पर प्रस्थान कर जाते हैं जो अत्यंत आपत्तिजनक है, उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 व 07 का उल्लंघन होकर घोर कदाचरण की श्रेणी में आता है।

समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे विहित अवधि 21 दिवस पूर्व अर्जित अवकाश का आवेदन पत्र प्रस्तुत करें, अवकाश स्वीकृति उपरांत अवकाश पर प्रस्थान करें तथा बिना अवकाश स्वीकृति के अवकाश का उपभोग न करें, साथ ही गंतव्य स्थान पर पहुंचकर वहां से आपवादिक परिस्थिति को छोड़कर आवेदन पत्र प्रेषित न करें। उक्त निर्देशों की अवज्ञा करने पर अनुशासनहीनता मानी जाकर संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार विधिवत् कार्यवाही की जावेगी।

सि/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
नरसिंहपुर

पृष्ठा.क्रमांक 255 /दो–11–10/73 नरसिंहपुर, दिनांक–18.04.2024

प्रतिलिपि :—

1– प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय नरसिंहपुर,
2– विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) नरसिंहपुर,
3– प्रभारी अधिकारी कार्यालय/नजारत/ग्रंथालय/मालखाना/अभिलेखागार/प्रतिलिपि/कम्प्यूटर, अनुभाग नरसिंहपुर/गाडरवारा/तेंदूखेड़ा/गोटेगांव,
4– प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम अपर जिला न्यायाधीश, नरसिंहपुर/गाडरवारा,
5– प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड नरसिंहपुर/गाडरवारा,
6– प्रथम/द्वितीय/तृतीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड नरसिंहपुर/गाडरवारा/तेंदूखेड़ा/गोटेगांव,
7– प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर,
8– प्रशासनिक अधिकारी/उप–प्रशासनिक अधिकारी/लेखापाल/सांख्यिकीय लिपिक/सहा0लेखापाल, कार्यालय अनुभाग नरसिहपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

सि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
नरसिंहपुर